

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर  
खण्डपीठ रीवा जिला रीवा म.प्र.

श्रीदेवेंद्र द्विवेदी  
सा/02-07-18



छेदीलाल साहू तनय श्री रामेश्वर साहू निवासी ग्राम ओबरी  
पो.शिवपुरवा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म.प्र.....  
निगराकार

बनाम

1-श्रीधर द्विवेदी तनय श्री रामप्रकाश द्विवेदी निवासी ग्राम  
ओबरी पो.शिवपुरवा तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना  
म.प्र.

2-शासन म.प्र.....

गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर  
सतना जिला सतना म.प्र.के रा.प्र.कं.  
203/अपील/2016-17 में पारित  
आदेश दिनांक 19.06.2018

निगरानी अन्तर्गत धारा-7 वासस्थान  
दखलकार अधिनियम 1980.

मान्यवर,

निगराकार निम्न तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत  
कर विनयी है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि  
निगराकार/उत्तरवादी कं.1 द्वारा ग्राम ओबरी कोठार तहसील  
रामपुर बाघेलान जिला सतना म.प्र.स्थित आराजी नं.268/1ख  
रकवा 0.012हे.है जिसके भूमिस्वामी श्रीधर द्विवेदी उत्तरवादी/गैरनिगराकार  
कं.1 तथा आराजी नं.268/1ग रकवा 0.012हे.के मालिक

....2

Jor

M


At

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 4059 / 2018 / सतना / भू-रा0

जिला-सतना

छेदीलाल साहू/श्रीधर द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 203/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	

